

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल गवर्लियर मध्य प्रदेश।



बहुमुख प्रसाद तनय श्री विश्वनाथ प्रसाद अमृत निवासी ग्राम अन्तिमुर

तहसील कुचुर जिला रीवा मध्य प्रदेश: - - - - - निगरानीकर्ता  
बनाम

रामाश्राय तनय श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र निवासी अन्तिमुर तहसील  
कुचुर जिला रीवा मध्य प्रदेश: - - - - - गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विषय आदेश दिनांक 23/8/94 न्याया

लय श्रीमान आर असुकल महोदय रीवा साम्भग

रीवा मध्य प्रदेश अग्रिम त्रिमाही का 28/8/3-84

निगरानी अन्तर्गत पारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व

पेता

संस्कृत सन् 1959 ई।

मान्यवर,

निगरानी के निम्न आधार हैं।

1:- यह कि प्रकरण अग्रिम न्यायालय श्रीमान आर जिलार्थक महोदय तथा आर असुकल महोदय का अद्वितीय सम्पत्ति नहीं होने से गत्ता है।

2:- यह कि सहायक भू अधिकार अभिलेख अधिकारी रीवा में रेखा रामाश्राय के हक में नामान्तरण किया किसी स्वतंत्र अर्जन के ही किया है। नामान्तरण केवल स्वतंत्र अर्जन पर ही हो सकता है।

3:- यह कि निगरानी कर्ता एवं रेखा दोनों से भावहृष्ट हैं तथा अग्रिम तक विवादित जमीनों का १ विवादित इन जमीनों का १ बट्टारा नहीं हुआ है जब तक सभी जमीनों का बट्टारा नहीं हो जाता तब तक समुक्त पहिरवार की भूमियों का नामान्तरण करने का हक रामाश्राय रेखा है।

को नहीं है। हिस्साखाट का किसी तरह का अफिलेख प्रस्तुत नहीं हुआ है। परन्तु अग्री तक अधीनस्थ न्यायालयों ने इस विन्दु पर कोई विचार नहीं किया है।

4:- यह कि सत्यनारायण छारा कपित्त लेख दान पत्र नहीं है। दान पत्र

= २ रुपये का राजस्व के गिरा ली का प्रस्तुत नहीं हुआ। दानपत्र से

R. 1188/94 श्री  
कल्पना / ग्राम्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं आधिकारिकों आदि के हस्ताक्षर
२४-७-१६	<p>आवेदक संघ - आवेदक अधि.</p> <p>उपस्थित नदी/ सर्व से भी उपस्थित नदी/ तीन बार आवाज लगावाई गई/ फैहर उपस्थित नदी/ अना. अंग. छी की.के. विवेदी उष./</p> <p>आर! - आवेदक अधिकारी जी अनुपस्थिति में अपम. पैरवी में देवरिज किया जाता है/</p> <p style="text-align: right;">सम्मत</p>	